शोध मंथन, Impact Factor 5.463 (SJIF), UGC No. 40908 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X,
Vol. X, No. 1, pp (19-25), Jan-March 2019

महिला सशक्तिकरणः आवश्यकता, चुनौतियाँ एवम् प्रयास

डा० अनूप सिंह सांगवान
एसो0 प्रोफे0, राजकीय महाविद्यालय, फरीदाबाद।
ई–मेलः– anupsangwan64@gmail.com

सारांश

भारतीय परम्परा अर्धनारीश्वर की है अर्थात, पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे के अभाव में कोई भी सम्पूर्ण नहीं है। जिस समाज की सोच ऐसी उन्नत होगी वही विकसित समाज बन सकता है सो अगर भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है तो महिलाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण, सुरक्षा, समर्थन, सरंक्षण, आत्मविश्वास व उचित सम्मान प्रदान करना होगा। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि महिला सशक्तिकरण के सभी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, व नैतिक पहलुओं का सम्मिलन किया जाए व महिलाओं को उनकी नैसर्गिक क्षमता का अहसास करवाया जाए। इसके साथ ही सदियों से चली आ रही रुढ़ियों और संर्कीण परम्पराओं को तोड़कर समाज में एक खुली सोच का निर्माण करने की आवश्यकता है तथा सरकारी एवम् गैर–सरकारी प्रयासों के चलते घर की चौखट की दहलीज़ से लेकर अंतरिक्ष तक जाने का रास्ता बनाया जाए।

प्रस्तावना

भारत की कुल आबादी का लगभग 48 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं का है और किसी भी समाज व राष्ट्र के आर्थिक व सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने में महिलाओं की महत्वूपर्ण भूमिका होती है। परन्तु आज भी उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, आय व अपने जीवन के सम्बन्ध में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। महिलाएँ निःसंदेह समाज की रीढ़ है तथा उनकी भागीदारी को देखते हुए उनका सशक्तिकरण न केवल व्यक्तिगत, पारिवारिक एवम् राष्ट्र की खुशहाली के लिए बल्कि समग्र आर्थिक एवम् सामाजिक विकास हेतु अत्यन्त आवश्यक है। अतः महिलाओं को शिक्षा एवम् कौशल प्रशिक्षण देकर, उन्हें आय व रोजगार के अवसर प्रदान करके, आत्म–सम्मान एवम् आत्म–विश्वास को बढ़ावा देकर समाज में उचित एवम् सम्मानजनक स्थान दिलाया जा सकता है। प्रस्तुत आलेख में नारी–सशक्तिकरण हेतु शिक्षा एवम् प्रशिक्षण की आवश्यकता के साथ–साथ इस दिशा में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व वैधानिक व्यवस्थाओं पर प्रकाश डाला गया है।

''जब तक महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक इस दुनिया के कल्याण की कोई सम्भावना नहीं है।'' **–स्वामी विकेकानन्द**

''यदि आप एक पुरुष को शिक्षित बनाते हैं तो एक व्यक्ति को शिक्षित बनाते हैं। परन्तु आप एक महिला को शिक्षित बनाते हैं, तो एक परिवार को शिक्षित बनाते हैं।

–महात्मा गाँधी

शिक्षा कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है व शिक्षा से चिन्तन् समस्या–समाधान व रचनात्मक गुणों का विकास होता है। यह मानव जीवन को बेहतर, सभ्य व उन्नत बनाती है, इस प्रकार शिक्षा एक आदर्श व प्रगतिशील परिवार, समाज एवं राष्ट्र का निर्माण करती है। अतः महिला सशक्तिकरण की दिशा में शिक्षा एवम् प्रशिक्षण एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। क्योंकि यह उन्हें परम्परागत भूमिका से संघर्ष करने और अपने जीवन में बदलाव लाने के साथ–साथ उन्हें चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है।

देश की जनता का लगभग आधा हिस्सा होने तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण भागीदारी होने के बावजूद भी भारत में लिंग भेद बने हुए है। 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता का स्तर 65 प्रतिशत था, जबकि पुरुषों की साक्षरता 82 प्रतिशत थी। देश की संसद में 12 प्रतिशत व कुल श्रम शक्ति में 28 प्रतिशत भागीदारी है तथा बलात्कार, अपहरण, दहेज–प्रथा, घरेलू–हिंसा एवम् उत्पीड़न जैसी घटनाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

महिलाओं के समक्ष चुनौतियाँः–

- समाज में शोषण, भेदभाव व उपेक्षा की वजह से व्यावसायिक कौशल का अभाव है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षण संस्थाओं व अध्यापिकाओं की कमी का पाया जाना।
- माता–पिता का लड़की की शिक्षा के प्रति उदासीन भाव का होना।
- महिलाओं को पैतृक सम्पत्ति में वास्तविक अधिकार नहीं मिल पाता है।
- यातायात साधनों व छात्रावास जैसी सुविधाओं की कमी का पाया जाना।
- उनके साथ बलात्कार, दहेज–हत्या, छेड़छाड़, अपहरण व हिंसा में वृद्धि का होना।
- शिक्षण, विवाह व रोजगार से संबंधित फैसले लेने से वंचित है।
- कृषि एवम् निर्माण कार्यों में पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी का मिलना।
- परिवार की गरीबी व अशिक्षा की वजह से सरकारी योजनाओं के लाभों के बारे में जानकारी का अभाव पाया जाता है।
- महिला सशक्तिकरण हेतु राजनीतिक सोच एवम दृढ़ता का अभाव रहा है।
- 'लड़कियाँ पराए घर की अमानत' की धारणा भी नारी उत्थान में बाधक है।

महिला सशक्तिकरणः–

किसी भी समाज व राष्ट्र के विकास का पैमाना महिलाओं द्वारा की गई प्रगति होती है। सो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवम् नैतिक मूल्यों के विकास व उन्नति के लिए महिलाओं का स्वस्थ्य, शिक्षित, सुरक्षित, आय एवम् रोजगार के अवसरों का उपलब्ध होना अत्यन्त आवश्यक होता है। अतः महिलाओं को घर–परिवार, समाज व राष्ट्र में अपनी नैसर्गिक क्षमता का

बोध कराकर, पुरुषों के बराबर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक एवम् सांस्कृतिक क्षेत्र में आज़ादी व निर्णय लेने का अवसर प्रदान करना, महिला विकास से जुड़ी समस्याएँ जैसे, –बाल–विवाह, दहेज–हत्या, यौन–शोषण, घरेलू–हिंसा, अपहरण, अशिक्षा, कुपोषण तथा कार्यस्थलों पर शोषण जैसी समस्याओं को समाप्त करना ही महिला सशक्तिकरण है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयास निम्न प्रकार से हैं–

संवैधानिक प्रावधान

संविधान के अनेक ऐसे अनुच्छेद हैं जो महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक विकास और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें शामिल किए जाने से संबंधित हैं जैसे अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी क्षेत्रों में पुरुष एवम् महिलाओं को समान अवसर प्राप्त हैं। अनुच्छेद 15(1) धर्म, नस्ल, लिंग, जाति, आदि के आधारों पर नागरिकों के साथ किसी प्रकार के भेदभाव से मनाही है। अनुच्छेद 39 (घ) पुरुष एवम् महिलाओं का समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 42 के अनुसार सरकार कार्यस्थल पर न्यायपूर्ण एवम् मानवीय स्थितियाँ सुनिश्चित करेगी। इस सबके अतिरिक्त सन् 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित करना तथा राष्ट्रीय महिला नीति 2016 का निर्माण भी इसी दिशा में एक कदम है। राष्ट्रीय महिला आयोग भी 1992 से महिलाओं की स्थिति सुधारने में कार्यरत है।

बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ

यह कार्यक्रम प्रधानमन्त्री द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में शुरु किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य बच्चों के लिंग अनुपात में चिन्ताजनक गिरावट और जीवन चक्र निरन्तरता के साथ महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी समस्याओं के समाधान हेतु एक व्यापक कार्यक्रम शुरु करना है। 22 नवम्बर 2017 से यह कार्यक्रम महिला एवम् बाल विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण मन्त्रालय तथा मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा संयुक्त रुप से चलाया जा रहा है। इसे फिलहाल देश के 640 जिलों में से 161 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

कौशल भारत अभियान

राष्ट्रीय स्तर पर भारत में दसवीं की पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाली महिलाओं का 18 प्रतिशत है, इसका कारण, महिलाओं की कम उम्र में शादी, शिक्षण संस्थाओं की कमी व दूरी का होना तथा गरीबी है। जनसंख्या के इस बड़े हिस्से को मुख्य धारा में लाने तथा जीवन स्तर को बढ़ाने हेतु भारत सरकार ने 2015 में ''कौशल भारत अभियान'' की शुरुआत की है व इस पहल के माध्यम से महिलाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देकर उन्हें गैर–पारम्परिक क्षेत्रों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। जिससे कि उनको देश की प्रगति में भागीदार बनाया जा सकेगा।

प्रशिक्षण एवम् रोजगार सहायता कार्यक्रम (स्टेप)

इस कार्यक्रम द्वारा 16 वर्ष या उससे अधिक आयु समूहों की महिलाओं को रोजगार सक्षमता और उद्यमशीलता बढ़ाने से सम्बन्धित किसी भी क्षेत्र जैसे कृषि, बागवानी, जरी,

खाद्य–प्रसंस्करण, हथकरघा, टेलरिंग, कशीदाकारी, हस्तशिल्प, कम्प्यूटर और सॉफ्टस्किल्स सहित आई–टी सक्षम सेवाओं में कौशल का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इस कार्यक्रय को गैर–सरकारी संगंठनों के माध्यम से लागू किया जा रहा है।

महिला–ई–हॉट

महिला एवम् बाल विकास मन्त्रालय ने महिला उद्यमियों के लिए डिजिटल मार्केंटिंग पोर्टल महिला–ई–हॉट को आरम्भ किया है। इसमें महिला विक्रेता अपने उत्पादों को पोर्टल के लिए पंजीकृत कर सकती हैं। जिसके लिए उन्हें कोई लिस्टिंग शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही महिला उद्यमी इंडिया पोस्ट के साथ एक क्रेता अनुबन्ध भी कर सकते हैं। जिससे उन्हें बल्क खेपों पर छूट पाने में मदद मिलेगी।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना

इस परियोजना के माध्यम से ग्रामीण गरीब युवाओं को उच्च–गुणवत्ता कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है। ताकि वे आय व रोजगार अर्जित कर सके। इस परियोजना में कौशल प्रशिक्षण संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित रखी गई है तथा इसमें विस्थापित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

दीन दयाल अन्त्योदय– राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन

इस योजना के तहत ''स्वयं सहायता समूह'' के जरिये महिलाओं को इकट्ठा करके एक समूह का रुप दिया जाता है और उनको प्रशिक्षण एवम् ऋण प्रदान करके रोजगार व आय प्राप्त करने लायक बनाया जाएगा। सम्भवतः महिलाओं से संबंधित गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य में विश्व की सबसे बड़ी पहल है। फिलहाल इसे 13 राज्यों के 161 जिलों के 571 ब्लॉकों में लागू किया है।

वन–स्टॉप सेन्टर (ओ एस सी)

महिला एवम् बाल विकास मन्त्रालय द्वारा लागू इस कार्यक्रम का उद्देश्य निजी एवम् सार्वजनिक स्थलों, घर–परिवार, समुदाय और कार्यस्थल पर हिंसा–ग्रस्त महिलाओं को सहायता प्रदान करना है। इस में किसी भी आयु, वर्ग, जाति, शैक्षिक स्तर, स्थिति और संस्कृति की महिलाओं को उनके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक व यौन–षोशण का सामना करने हेतु इन केन्द्रों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना

यह योजना प्रधानमन्त्री ने मई, 2016 में यू०पी० के बलिया जिले में आरम्भ की थी। इसके अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जिन परिवारों में व्यस्क महिला सदस्यों अथवा किसी अन्य परिजन के नाम पर एल०पी०जी० कनैक्शन नहीं है तो उस परिवार की व्यस्क महिला सदस्य के नाम पर गैस कनैक्शन दिया जाता है ताकि घरेलू वायु–प्रदूषण का सेहत पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव पर नियन्त्रण पाया जा सके।

शी–बॉक्स ऑनलाईन शिकायत प्रबन्धन प्रणाली

कार्य स्थल पर महिला यौन–उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 का प्रभावी क्रियान्वन सुनिश्चित करने के लिए नए–शी–बॉक्स पोर्टल पर सरकारी और निजी क्षेत्रों सहित देश में सभी महिला कर्मियों के लिए कार्यस्थल पर यौन–उत्पीड़न की ऑनलाईन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा है। इसके साथ ही विश्व–स्तर पर चलाये जा रहे सोशल–मीडिया के अभियान ME TOO पर भी महिलायें यौन–उत्पीड़न और यौन–उत्पीड़न झेलने का अनुभव साझा कर सकती है।

हेल्प मी डब्ल्यू सी डी

इस कार्यक्रम को महिला एवम् बाल विकास मन्त्रालय ने आरम्भ किया है। इसमें सोशल मीडिया पर अपमानजनक व्यवहार, परेशान करने और घृणात्मक व्यवहार की शिकार हो रही कोई भी महिला अथवा बच्चा ट्वीट करके अपना मामला सीधे दर्ज करा सकता/सकती है।

स्वाधार गृह

सन् 2001 में शुरु की गई इस योजना का लक्ष्य आर्थिक एवम् सामाजिक रुप से बेसहारा, जेल से रिहा व प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित, घरेलू हिंसा का शिकार, देह–व्यापार, जैसे शोषण वाले स्थानों से भागी गई महिलाओं को वस्त्र, आश्रय, शिक्षा, प्रशिक्षण एवम् कानूनी सहायता प्रदान करता है।

नारी शक्ति पुरस्कार

इस पुरस्कार को सन् 1999 में शुरु किया गया था। भारत सरकार हर वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर 8 मार्च को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करती है। इसे उन महिलाओं को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हो या समाज को बदलने की दिशा में कोई अद्भुत काम किया हो।

प्रधानमन्त्री मातृवंदना योजना

इस योजना को जनवरी 2017 में लागू किया गया है इसमें कुपोषण की स्थिति का सामना करने हेतु गर्भवती व स्तनपान करने वाली महिलाओं को 5000/– रुपये की नकद राशि प्रदान की जाती है इस राशि को तीन किश्तों में दिया जाता है। जिसमें 1000/– रुपये पंजीकरण के समय, 2000/– रुपये गर्भावस्था के दौरान तथा 2000/– रुपये बच्चे के जन्म के बाद प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ कामकाजी महिलाओं को प्रथम दो बच्चों तक प्रसूति अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है।

प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना

युवाओं में उद्यमिता बढ़ाने हेतु 8 अप्रैल, 2015 को इस योजना को लागू किया गया है। इसके तहत प्रशिक्षित यूवाओं को वित्तीय सहायता के रुप में ऋण प्रदान किया जाता है तथा इस योजना में महिलाओं मे उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ''महिला उद्यम निधि'' नामक विशेष कार्यक्रम का प्रावधान किया गया है। इसमें तीन श्रेणियों यानि शिशु उद्यम (50,000 रुपये तक),

किशोर उद्यम (50 हजार से 5 लाख तक) एवम् तरुण उद्यम् (5 लाख से 10 लाख तक) के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

''सबला योजना''

किशोर लड़कियों (11–18 आयु वर्ग) को पोषण, स्वास्थ्य देखभाल व कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू किया गया है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य किशोरियों को सक्षम व सशक्त बनाना, उनके पोषण व स्वास्थ्य में सुधार लाना, परिवार व बच्चों की देखभाल के प्रति जागरुकता लाना तथा उनको गैर–औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के साथ–साथ पी०एच०सी० डाकघर, बैंक, पुलिस स्टेशन, कोर्ट जैसी सरकारी सेवाओं के बारे में जानकारी का प्रदान करना है ताकि वे सरकारी योजनाओं का बेहतर ढ़ंग से लाभ उठा सके।

मलिाओं की सुरक्षा हेतु वैद्यानिक उपाय

(क) **दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 –** इस अधिनियम में दहेज लेने–देने या दहेज लेने या देने के लिए प्रेरित करने वाले के लिए कम से कम पाँच वर्ष की सजा और कम से कम 15 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

(ख) **स्त्री 'अशिष्ट रुपण' अधिनियम 1986 –** यह अधिनियम किसी भी विज्ञापन, प्रकाशन, लिखित रुप में अथवा किसी भी रुप में महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल स्त्री की आकृति, रुप या शरीर या महिला के लिए अपमानजनक अशिष्ट रुपण का प्रतिषेध करता है।

(ग) **घरेलू हिंसा से महिलाओं को सरंक्षण अधिनियम 2005–** यह अधिनियम सभी महिलाओं को घर के निजी दायरे में हिंसा से मुक्त जीने के अधिकार को मान्यता देता है। इसके साथ ही 'लिव–ईन–रिलेशनशिप' में रह रही महिलाओं को भी सरंक्षण प्रदान करता है।

(घ) **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन–उत्पीड़न अधिनियम 2013–** इस अधिनियम का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित एवम् सरंक्षित माहौल उपलब्ध करवाना है इसमें संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 के अन्तर्गत गारंटिड समानता का मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 21 अन्तर्गत गरिमा से जीवन यापन करना है तथा अनुच्छेद 18 (1) (छ) के तहत यौन–उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित काम का माहौल उपलब्ध कराने से संबंधित अधिकार भी प्रदान किया गया है।

पंचायतों की निर्वाचित महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

संविधान के 73 वे संशोधन (पंचायती राज अधिनियम) के अन्तर्गत पंचायतों की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है और महिला एवम् बाल विकास मन्त्रालय ने समाज के सबसे निचले स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में महिला पंच, सरंपचों तथा अन्य महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गाँवों के शासन और प्रशासन के क्षेत्र में पचांयतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमताओं, दक्षताओं

और कौशल का विकास करके उन्हें अधिकार सम्पन्न बनाना है, ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभा सकें।

राष्ट्रीय महिला नीति 2016

24 पृष्ठ के इस दस्तावेज में महिलाओं पर उपलब्ध जानकारी में से सात प्राथमिकता क्षेत्र रखे गए हैं।

(1) स्वास्थ्य, खाद्य–सुरक्षा और पोषण, (2) शिक्षा, (3) अर्थ – व्यवस्था, (4) प्रशासन एवम् निर्णय लेना, (5) महिलाओं के साथ हिंसा, (6) सशक्त बनाने वाला वातावरण, (7) पर्यावरण एवम् जलवायु परिवर्तन। वर्तमान नीति में बुजुर्गों, रजोनिवृति की उम्र वाली महिलाओं की अन्य शारीरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थितियों को रेखांकित किया गया है।

संक्षेप में, उपरोक्त सभी प्रयास सराहनीय तो है किन्तु इसका वांछित परिणाम तभी मिलेगा जब महिला सशक्तिकरण के सभी प्रयासों में परस्पर तालमेल हो तथा इन प्रयासों को लागू करने वाले विभागों में भी उचित तालमेल हो।

संदर्भ ग्रंथ

1 दैनिक जागरण, नई दिल्ली, संस्करण 23 जनवरी, 2005, पेज–**1**

2 झिंगन एम.एल. एवम् शर्मा सी. के., *''पर्यावरण अर्थशास्त्र''* वृदां प्रकाशन प्रा० लि०, नई दिल्ली, पेज न० **304–306**

3 कुरुक्षेत्र, सूचना एवम् प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, जनवरी 2018 अंक–3

4 पूरी वी. के. एवम् मिश्रा एस. के., *''भारतीय अर्थ–व्यवस्था''* (2016), हिमालया पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, पेज न० **150–154**

5 शर्मा बी. के. *''समकालीन भारत और शिक्षा''* लक्ष्मी प्रकाशन भिवानी हरियाणा, पेज न० **171–172**

6 *योजना,* सूचना एवम् प्रकाश मन्त्रालय, भारत सरकार, जुलाई 2017, अंक –07, पेज न० **36–37**